अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 08/2019(RCMS No. 2019/00083) अनवान् कुसुम रानी धर्मपत्नी स्व. श्री कृष्ण लाल कटारिया निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम नवनीत कटारिया पुत्र श्री कृष्ण लाल कटारिया निवासी 14–एफ–8, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

07.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी कुसुम रानी धर्मपत्नी स्व. श्री कृष्ण लाल कटारिया आज उपस्थित है। अपीलार्थी कुसुम रानी ने दिनांक 31.07.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थीया का एक मुकद्दमा अन्तर्गत धारा 125 सी.आर.पी.सी. पारिवारिक न्यायालय में लम्बित है और प्रार्थिया अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, इसलिए इस प्रकरण को दाखिल दफ्तर कर दिया जावे। प्रार्थिया की पहचान श्री लखविन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा की गई है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थिया कुसुम रानी द्वारा अपने पुत्र नवनीत कटारिया के विरूद्ध यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश दिनांक 02.02.2011 में संशोधन करते हुए भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 10 के तहत संशोधन करते हुए 4000/– के स्थान पर 1000/-- रूपये माह दिसम्बर 2018 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थीया के बैंक खाते में जमा करवाने के आदेश दिये थे।

चूंकि अपीलार्थिया का प्रकरण अन्तर्गत धारा 125 सी.आर.पी.सी. पारिवारिक न्यायालय में लम्बित है इसलिए इस प्रकरण में वह अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है इसलिए इस प्रकरण में इसी आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर